



# उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

बुधवार, 05 चैत्र, शक संवत्, 1942

( दिनांक : 25 मार्च, 2020 )

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणाएँ, यदि कोई हों।  
(कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-“क”)
2. वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-
  - (1) निर्वाचन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05 निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 554063 हजार (रुपये पचपन करोड़ चालीस लाख तिरसठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
  - (2) वित्त मंत्री श्री, राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 99056998 हजार (रुपये नौ हजार नौ सौ पांच करोड़ उनहत्तर लाख अठानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
  - (3) आबकारी मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08 आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 330507 हजार (रुपये तैंतीस करोड़ पांच लाख सात हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
  - (4) सहकारिता मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 1703267 हजार (रुपये एक सौ सत्तर करोड़ बत्तीस लाख सड़सठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।


- (5) सिंचाई मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 12792109 हजार (रुपये एक हजार दो सौ उन्चासी करोड़ इक्कीस लाख नौ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (6) पर्यटन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 2854524 हजार (रुपये दो सौ पचासी करोड़ पैंतालीस लाख चौबीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (7) उद्यान मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-29 औद्योगिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 3928569 हजार (रुपये तीन सौ बयानवे करोड़ पचासी लाख उनहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (8) शिक्षा मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 91492448 हजार (रुपये नौ हजार एक सौ उनचास करोड़ चौबीस लाख अड़तालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (9) वन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 11205209 हजार (रुपये एक हजार एक सौ बीस करोड़ बावन लाख नौ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (10) पेयजल मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 29603533 हजार (रुपये दो हजार नौ सौ साठ करोड़ पैंतीस लाख तैतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (11) कृषि मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 10481078 हजार (रुपये एक हजार अड़तालीस करोड़ दस लाख अड़हत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

- (12)परिवहन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 5924818 हजार (रुपये पांच सौ बयानवे करोड़ अड़तालीस लाख अठारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (13)समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 13708157 हजार (रुपये एक हजार तीन सौ सत्तर करोड़ ईक्यासी लाख सत्तावन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (14)समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 4986359 हजार (रुपये चार सौ अठ्ठानवे करोड़ तिरसठ लाख उनसठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (15)पशुपालन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 4143461 हजार (रुपये चार सौ चौदह करोड़ चौतीस लाख ईकसठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (16)श्रम एवं रोजगार मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16 श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 3902343 हजार (रुपये तीन सौ नब्बे करोड़ तेईस लाख तैतालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (17) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 776244 हजार (रुपये सतहत्तर करोड़ बासठ लाख चवालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (18) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03 मंत्रि-परिषद के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 1002020 हजार (रुपये सौ करोड़ बीस लाख बीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

- (19) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 2949767 हजार (रुपये दो सौ चौरानवे करोड़ सतानवे लाख सड़सठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (20) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 15345826 हजार (रुपये एक हजार पांच सौ चौतीस करोड़ अठ्ठवन लाख छब्बीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (21) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-09 लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 227318 हजार (रुपये बाईस करोड़ तिहत्तर लाख अठारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (22) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 21743348 हजार (रुपये दो हजार एक सौ चौहत्तर करोड़ तैंतीस लाख अड़तालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (23) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 24770231 हजार (रुपये दो हजार चार सौ सतहत्तर करोड़ दो लाख इकतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (24) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 1012942 हजार (रुपये एक सौ एक करोड़ उन्तीस लाख बयालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (25) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 20140947 हजार (रुपये दो हजार चौदह करोड़ नौ लाख सैंतालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

- (26) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 23130970 हजार (रुपये दो हजार तीन सौ तेरह करोड़ नौ लाख सत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (27) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 3660423 हजार (रुपये तीन सौ छियासठ करोड़ चार लाख तेईस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (28) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 20465565 हजार (रुपये दो हजार छियालीस करोड़ पचपन लाख पैसठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (29) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 4423229 हजार (रुपये चार सौ बयालीस करोड़ बत्तीस लाख उन्तीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (30) खाद्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 2344916 हजार (रुपये दो सौ चौतीस करोड़ उनचास लाख सोलह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
3. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
4. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करेंगे।
5. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।
6. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

देहरादून :  
दिनांक : 24 मार्च, 2020

आज्ञा से,  
  
(जगदीश चन्द्र)  
सचिव।

नत्थी -“क”

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 24 मार्च, 2020 की बैठक में दिनांक 25 मार्च, 2020 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है।

दिनांक: 25 मार्च, 2020 (बुधवार)

1. कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रश्नकाल एवं शून्यकाल नहीं होगा।
2. असरकारी दिवस के लिए सम्मिलित समस्त प्रस्ताव, संकल्प एवं सूचनाएँ अगले सत्र में लिए जायेंगे।
3. वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-

<b>अनुदान संख्या-</b>	05	निर्वाचन विभाग के अनुदान पर मांग,
	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्ये के अनुदान पर मांग,
	08	आबकारी, विभाग की अनुदान पर मांग,
	18	सहकारिता विभाग के अनुदान पर मांग,
	20	सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग के अनुदान पर मांग,
	26	पर्यटन विभाग के अनुदान पर मांग,
	29	औद्यानिक एवं रेशम विभाग के अनुदान पर मांग,
	11	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के अनुदान पर मांग,
	27	वन विभाग के अनुदान पर मांग,
	13	जलापूर्ति, शहरी विकास विभाग के अनुदान पर मांग,
	17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अनुदान पर मांग,
	24	परिवहन विभाग के अनुदान पर मांग,
	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण विभाग के अनुदान पर मांग,
	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण विभाग के अनुदान पर मांग,
	28	पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग के अनुदान पर मांग,
	16	श्रम और रोजगार, आवास विभाग के अनुदान पर मांग,
	01	विधान सभा के अनुदान पर मांग, <b>विवाद नहीं होगा।</b>

- 03 मंत्रिपरिषद के अनुदान पर मांग, -तदैव-
- 04 न्याय प्रशासन विभाग के अनुदान पर मांग, -तदैव-
- 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अनुदान पर मांग,
- 09 लोक सेवा आयोग के अनुदान पर मांग, विवाद नहीं होगा।
- 10 पुलिस एवं जेल विभाग के अनुदान पर मांग,
- 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुदान पर मांग,
- 14 सूचना विभाग के अनुदान पर मांग,
- 15 कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग के अनुदान पर मांग,
- 19 ग्राम्य विकास विभाग के अनुदान पर मांग,
- 21 उर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अनुदान पर मांग,
- 22 लोक निर्माण विभाग के अनुदान पर मांग,
- 23 उद्योग विभाग के अनुदान पर मांग,
- 25 खाद्य विभाग के अनुदान पर मांग,

4. उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2020 का पुरःस्थापन विचार एवं पारण।